कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या :4772/ 38–01 (2009–10) दिनॉक : रुद्रप्रयाग : मई,21 ,2016।

:: रूचि की अभिब्यक्ति (EOI) की सूचना::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि अतिरिक्त सचिव/उत्तराखण्ड राज्य समन्वयक, उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना विभाग) के पत्र संख्या 320/xxxi(15)G–10(5)/2016 दिनांक 09, मार्च,2016 के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर के अर्न्तगत डाटा बेस के आधार पर संशोधित डाटा प्रविष्टियां करने का कार्य दिनॉकः 11,जून,2016 से 07.10.2016 के मध्य सम्पन्न किया जाना है। डाटा एन्ट्री हेतु प्रति एक डाटा ऐन्ट्री आपरेटर को 3/–रूपया प्रति रिकार्ड की धनराशि देय होगी। इस कार्य के लिये मय कम्प्यूटर सहित के 30 डाटा ऐन्ट्री आपरेटरों की आवश्यक्ता है, जो कि सम्बन्धत चार्जो तहसील/नगरपालिका/नगर पंचायत कार्यालय में फिडिंग करेंगे। उक्त दर से डाटा एन्ट्री कार्य करने हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्म/संस्था से दिनॉकः 29.05.2016 सायं 04.00 बजे तक रूचि की अभिब्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। किसी एक अथवा रूचि की अभिब्यक्ति (EOI) को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी जिलाधिकारी में निहित होगा। रूचि की अभिब्यक्ति (EOI) से सम्बन्धित सभी शर्तें एवं निर्देशो को जनपद की Website www//rudraprayag.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार,
रुद्रप्रयाग।
(राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)

:: शर्तें /निवेश (NPR) ::

1. EOI के साथ डाटा एन्ट्री का कार्य किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र (सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान)

2. Hardware / Software फर्म को स्वंय के संसाधनों से Data entry operator को उपलब्ध कराना होगा।

3. कार्य को नियत अवधि दि0 11 जून से 07.10.2016 तक अनिवार्य रुप से पूर्ण करना होगा अन्यथा कि स्थिति में पेनाल्टी 5.00 रु0 प्रति Left @ 5.00 प्रति Left of entry फर्म पर अधिरोपित की जायेगी। जिस हेतु इस कार्यालय के साथ अनुबन्ध पत्र गठित किया जाना अनिवार्य होगा।

4.फर्म को अपना पंजीकरण सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिनवार्य होगा।

5. सभी डाटा एन्ट्री आपरेटर के पास computer/IT सम्बन्धी Certificate/ Diploma धारित होना अनिवार्य होगा।

6.Firm / संस्था का black list न होने का शपथ पत्र/Undertaking दिया जाना अनिवार्य होगा।

7. Data Entry Operators को सम्बन्धित Supervisor तथा सम्बन्धित चार्ज अधिकारी (तहसीलदार/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत) के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में। कार्य करना होगा

8. Data Entry का कार्य त्रुटिरहित संतोषजनक रुप से न किये जाने की स्थिति में संबधित फर्म/संस्था को किसी भी समय हटाया जा सकता है। तथा black list किये जाने की कार्यवाही भी की जा सकती हैं।

9. शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार समस्त डाटा ऐन्ट्री आपरेटर को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना होगा।